कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट

E-mail :- nhlohaghat@gmail.com

पत्रांक 1599/6C

दिनांक 07/12/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग,
चम्पावत।

विषयः– जनपद–चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर–पिथौरागढ़ एन0एच0 125 (नया 09) चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.94 है0 वन भूमि का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रत्यावर्तन। Proposal No.– FP/U/ROAD/31090/2017

संदर्भः– तकनीकी अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, देहरादून का पत्रांक 8B/UCP/06 /112/2018/FC/1037 Date 28.10.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के द्वारा लगायी गयी आपत्तियों पर बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है–

बिन्दु संख्या	आपत्तियां	निराकरण
1	The proposed alignment is supposed to pass through the river/nallh etc for which there must have proposed bridges for which no details are furnished. The State Govt is requested to submit the details of all such components in component wise breakup in online Para B2.4.	चम्पावत बाईपास में कुल 07 Bridges है, जिसका विवरण संलग्न है। ((प्रति संलग्न)
2	This is mentioned in the justification of the project that the proposed road is crussing several other small roads/paths. The State Govt. is requested to furnish the necessary details for these roads/paths in view of the guideline Para 5.6 (if re-diversion is needed).	चम्पावत बाईपास में कुल 11 Junctions है, जिसका विवरण संलग्न है। ((प्रति संलग्न)
3	The administrative approval was taken for the length 7.875 km while proposal is proposed for the length of 10.0 km. Therefore, the State Govt. is requested to submit the comments on revised administrative approval.	पूर्व स्वीकृति समरेखन की लम्बाई 7.875 किमी0 थी, परन्तु विभागीय उच्चाधिकारियों के द्वारा संयुक्त निरीक्षण के समय मोडो को सुधार किये जाने के निर्देश दिये गये, जिसके अनुसार समरेखन में परिवर्तन किया गया है। परिवर्तित समरेखन के अनुसार बाईपास की लम्बाई 10.000 किमी0 है, उक्तानुसार ही वनभूमि हस्तानान्तरण का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
4	The tree enumeration details provided in online portal and in hard copy of the proposal is different. In hard copy it is mentioned as 2346 while in online portal it is 1975 trees. Therefore, the State Govt. is requested to submit the clarification and do necessary corrections in this regard.	वृक्षों की सूची Online में भी कुल 2346 है, जो Online के प्रारूप 21 के पृष्ठ संख्या 03 में भी अपलोड है, जिसमें बॉज के वृक्षों की संख्या 371 व अन्य वृक्ष की संख्या 1975 है। (प्रति संलग्न 3 पृष्ठ)
5	The muck disposal plan submitted by the State Govt is scatchy as in view of the geology of the area the possibility of generation of muck is many more than calculated. Accordingly, corrections and justification is needed in this regard.	मार्ग की जो भूमि अधिग्रहित की जा रही है, वह 24 मीटर चौड़ाई में है। परन्तु मार्ग निर्माण हेतु हिल साईड कटिंग मात्र 14 मीटर में ही किया जाना है। उक्त हिल साईड कटिंग के उत्सर्जित मलवे की Detail Calculation प्रस्ताव में संलग्न है, जो ठीक है। (प्रति संलग्न)

8/C

6	The DSS analysis shows that against requirement of 17.88 ha CA area the calculated area is shown in DSS analysis is 42 ha out of which 8 ha is VDF and 14 ha is MDF. The State Govt is requested to correct the KML and geo-referenced map of CA area accordingly. Prior uploading the details, it is advisable that DSS analysis should be done at DFO level.	पुनरिक्षित DSS analysis map, KML & Geo reference map मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, आई.टी. सैल, देहरादून से प्राप्त हो गये है, जो संलग्न कर 6 प्रतियों में प्रेषित है।
7	The ROW is taken as 24 m. The State Govt is requested to justify the requirement in view of the latest rule & guideline in the context of the hills of MoRTH.	Guidelines for the Alignment survey and Geometric Design of Hill Road IRC-52-2019 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु 24 मीटर चौड़ाई में भूमि की आवश्यकता है, (प्रति संलग्न) अतः 24 मीटर चौड़ाई मे भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव गठित किया गया है।
8	Earlier, the State Govt has not approved the proposal stating that the construction of the Champawat bypass was not feasible due to environmental issues. Therefore, the State Govt should give a clear recommendation regarding its feasibility and additional measures, if any, to be undertaken to construct this bypass.	चम्पावत वाईपास के Feasibility हेतु Repid EIA, M/S Enviro Infra Solutions Pvt. Ltd Ghaziabad द्वारा कराया गया है। उक्त Report Oversight Committee को भी Submitted है। Enviorment Issue को Address करने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Oversight Committee का गठन किया गया है। Oversight Committee की 10वीं बैठक में वनभूमि हस्तानान्तरण पर अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे, जिसके क्रम में उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति का प्रकरण पुनः प्रेषित किया गया है।

अतः अनुरोध है कि बिन्दु संख्या 06 के अनुसार मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, आई.टी. सैल, देहरादून से प्राप्त पुनरिक्षित DSS analysis map & Geo reference map 6–6 प्रतियों में संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे है कि हस्ताक्षरोपरान्त एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने की कृपा करें, ताकि प्रकरण वनभूमि परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड किये जा सके तथा उक्त प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

7/12/22

अधिशासी अभियन्ता,
रा.मा. खण्ड, लो.नि.वि., लोहाघाट

पत्रांक /

दिनांक / /2022

प्रतिलिपि– तकनीकी अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– मुख्य अभियन्ता, रा०मा० उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– अधीक्षण अभियन्ता, रा०मा० वृत्त, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रा०व० को

13-12-2022

प्राप्ति कार्यालय
प्र०व०अ०, चम्पावत

अधिशासी अभियन्ता,
रा.मा. खण्ड, लो.नि.वि., लोहाघाट